न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 26/2018 जिला अलवर

1. राजेश पुत्र श्री रामस्वरूप जाति कुम्हार
2. दिनेश पुत्र श्री स्व0 रामस्वरूप जाति प्रजापत आयु करीब 30 साल निवासीयान ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. मनीराम पुत्र सोहनलाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. श्रीमति उर्मीला पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति प्रजापत पत्नी सुन्दर लाल निवासी मो0 चॉवड पाडी अलवर।
3. श्रीमति सुशीला पुत्री स्व0 रामस्वरूप पत्नी श्री चुन्नीलाल जाति प्रजापत निवासी मो0 चॉवड पाडी अलवर।
4. श्रीमति सुनीता पुत्री स्व0 रामस्वरूप पत्नी श्री अशोक कुमार जाति प्रजापत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तहसील बहरोड जिला अलवर।
5. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 01.08.2011

उपस्थित—

1. श्री हेमन्त सोगानी वकील अपीलान्ट
2. श्री आर.एस.यादव रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —14.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 01.08.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 455, 474, 575, 576, 577, 578, 579, 457, 567 सोहनलाल पुत्र गंगासहाय की कब्जे काश्त व खरीद शुदा भूमि है। सोहनलाल की मृत्यु दिनांक 08.01.2009 को हो चुकी है एवं सोहनलाल के पुत्र रामस्वरूप रजिस्ट्रर्ड गोदनामा के आधार पर नानगी पत्नि हरदेवा के गोद चले जाने के कारण सोहनलाल की विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी मनीराम व सोहनलाल की पुत्रियों के नाम बराबर हिस्सा के आधार पर दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2011 को सोहनलाल की विरासत रामस्वरूप को छोडकर शेष सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये।

3. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 01.08.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजेश पुत्र श्री रामस्वरूप वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 01.08.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कथित गोदनामा एक वैध दस्तावेज नहीं है ना ही कभी गोद की शर्तें, रस्में पूरी की गई। अपीलाण्ट के पिता स्व0 रामस्वरूप कभी भी नानगी बेवाह हरदेवा के गोद नहीं गये है। अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 457, 567 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा पर मौके पर काबिज हैं एवं आराजी खसरा नं. 455, 474, 575, 576, 577, 578, 579 के 1/4 हिस्से के 1/3 हिस्से पर काबिज चले आ रहे थे लेकिन अपीलांट के दादा सोहनलाल की मृत्यु उपरान्त 1/2 हिस्से पर काबिज हैं। सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अपने पुत्र रामस्वरूप के विरूद्ध उक्त आराजी में रामस्वरूप का संबंध नहीं होने बाबत् दावा चलाया था जो कि बाद में एक दूसरे को पिता–पुत्र मानते हुये राजीनामा के आधार पर खारिज करा लिया था जिससे स्पष्ट होता है कि सोहनलाल ने रामस्वरूप को अपना पुत्र मानते हुये 1/3 भाग की आराजी खातेदार स्वीकार किया था। इस प्रकार 1/3 हिस्से पर अपीलांट के पिता रामस्वरूप व उनके बाद अपीलांट मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। रामस्वरूप के पिता का नाम समस्त अभिलेखों में भी सोहनलाल ही चला आ रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किए बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 01.08.2011 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट के पिता रामस्वरूप परिवार में नानगी पत्नि स्व0 हरदेवा के गौद जरिये रजिस्ट्रर्ड गोदनामा दिनांक 21.01.1950 जा चुके हैं। सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.06.1983 को दोनो पुत्र श्री रामस्वरूप एवं मनीराम के नाम रजिस्ट्रर्ड वसीयत की थी। उक्त वसीयत को दिनांक 08.08.1996 को जरिये रजिस्ट्री निरस्त करवा ली गई थी परन्तु अपीलांट द्वारा पुरानी वसीयत के आधार पर गलत तरीके से ग्राम पंचायत रानोठ तहसील मुण्डावर द्वारा रामस्वरूप के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 22.06.2009 दर्ज करवा ली जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अपील करने पर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा दिनांक 25.05.2015 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 855 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा भी दिनांक 08.10.2015 को खारिज कर दी गई। अपीलांट रजिस्ट्रर्ड गोदनामा दिनांक 21.01.1950 के तहत् नानगी पत्नि स्व0 हरदेवा की सम्पति को भी भोग रहे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार विधिक प्रावधानों के तहत् रजिस्ट्रर्ड गोदनामा के आधार पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर में स्थित

Scanned by CamScanner

भूमि आराजी खसरा नं. 455, 474, 575, 576, 577, 578, 579, 457, 567 सोहनलाल पुत्र गंगासहाय की कब्जे काश्त भूमि है एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि सोहनलाल की मृत्यु उपरान्त उसका पुत्र रामस्वरूप दिनांक 21.01.1950 को जरिये रजिस्ट्रर्ड गोदनामा के आधार पर नानगी पत्नि हरदेवा के गोद चला गया। अतः हम समझते है कि चूंकि अपीलांट्स अपने पिता स्व0 श्री रामस्वरूप की मृत्यु उपरान्त रजिस्ट्रर्ड गोदनामा दिनांक 21.01.1950 के तहत् नानगी पत्नि स्व0 हरदेवा की सम्पति को भोग रहे हैं इसलिए रामस्वरूप के प्राकृतिक पिता स्व0 श्री सोहनलाल की विरासत में उनके हक–हकूक एवं अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 01.08.2011 के अनुसार सोहनलाल की विरासत में रामस्वरूप को छोडकर शेष सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज करना उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 01.08.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. समागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner